क्रम संख्या–84

अर्द्ध०शा०प०सं० 2058/मु०स०/97–14/2(1)/96

ब्रजेन्द्र सहाय,
मुख्य सचिव।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई, 1997

प्रिय महोदय,

शासकीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के परिप्रेक्ष्य में विभागीय कार्यों/कार्यक्रमों के संबंध में सूचना की व्यापक प्रसिद्धि के सम्बन्ध में मेरे पूर्वाधिकारी के अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 1657/43–1–96–22(12)/97, दिनांक 8-7-96 का कृपया सन्दर्भ लें। तदोपरान्त प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार के पत्र दिनांक 7-4-97 तथा 21-4-97 एवं मेरे अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 10-06-97 द्वारा आपको अनुस्मरित कराया गया। प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन के संबंध में हाल में ही मुख्यमंत्री गणों के सम्मेलन में शासकीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता पर पुनः बल दिया गया और यह अपेक्षा की गई है कि केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां प्रश्नगत सूचना उपलब्ध कराया जाना कानून के अन्तर्गत प्रतिबन्धित हो, अथवा जनहित में न हो, अन्य सभी मामलों में सूचना उपलब्ध कराये जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ संगठन के कार्यकलापों, निर्णय देने की प्रक्रियाओं, विभिन्न स्तर पर अधिकारों पर प्रतिनिधायन, लोक महत्व की चालू योजनाएँ एवं उनके भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य आदि। इसी प्रकार जिन कानूनों/नियमों/विनियमों/आदि के अन्तर्गत संगठन का कार्य संचालन होता है उनकी भी व्यापक प्रसिद्धि की आवश्यकता है।

जिन विषयों के संबंध में सूचना जनता को उपलब्ध करायी जा सकती है, उनकी एक सूची इसके साथ संलग्न की जा रही है किन्तु यह दृष्टांत स्वरूप ही है। आप स्वयं ऐसे अभिलेखों/सूचनाओं का निर्धारण कर लें जिन्हें जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है। बड़े संगठनों में जिनमें जन सम्पर्क अधिक होता है, सुसंगत सूचना लिखित/मौखिक रूप से तथा प्रारूप एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु समुचित व्यवस्था तथा उसकी भी समीक्षा कर आवश्यक व्यवस्था कृपया सुनिश्चित कर लें। प्रश्नगत अभिलेखों/सूचनाओं का निरीक्षण करने एवं उनकी प्रतियाँ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश विभागीय स्तर से ही जारी किये जाने होंगे।

प्रश्नगत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में श्रम एवं समय के आधार पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि अधिकांश सूचना वैसे भी एकत्र की जा रही हैं। अतः लाभार्थियों एवं जन सामान्य के हितों के रक्षार्थ इसे उपलब्ध कराने के लिये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मानसिकता में अपेक्षित बदलाव के लिये आपके द्वारा समुचित मार्गदर्शन एवं नेतृत्व प्रदान किये जाने की आवश्यकता है ताकि खुले एवं पारदर्शी प्रशासन का ध्येय सफल हो सके।

आपसे अनुरोध है कि विषय के महत्व को देखते हुए कृपया व्यक्तिगत ध्यान देकर अपने स्तर से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को एक माह में उपलब्ध करा दें। प्रस्तावित ''राइट टू इन्फारमेशन'' कानून तथा इस संबंध में यदि आपके कोई सुझाव हों तो वह भी सूचित कर दें।

भवदीय,
ब्रजेन्द्र सहाय,
प्रमुख सचिव।

समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव (नाम से),
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त की एक प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूं।

भवनिष्ठ,
एस० एन० शुक्ल,
प्रमुख सचिव।

समस्त मण्डलायुक्त (नाम से),
समस्त विभागाध्यक्ष (नाम से),
समस्त जिलाधिकारी (नाम से)।